

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.**  
**“कर-भवन”, अजमेर**

कमांक: एफ-7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 3910

दिनांक: 13-5-13

-::परिपत्र::-

न्यायिक प्रकरणों की दिनांक 29.04.13 को शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर के कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि विभागीय न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों द्वारा रिट याचिकाओं के प्रस्तुत जवाब एवं विभाग की ओर से दायर रिट याचिकाओं में प्रतिरक्षण/रक्षण की कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय परिपत्र, राज्य अधिसूचनाओं, एवं समान बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय का सन्दर्भ नहीं दिया जाता है। जवाब एवं रिट याचिकाओं में उक्त सन्दर्भ एवं ठोस आधार के अभाव में विभाग के विरुद्ध निर्णय की संभावना रहती है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले जवाब/रिट याचिकाओं में उल्लेखित प्रक्रिया के अन्तर्गत ठोस आधारों का सन्दर्भ देते हुए लघ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नियुक्त राजकीय अभिभाषक/अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से जवाब/रिट तैयार कराकर उसका मुख्यालय से अनुमोदन कराकर राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे।

(राम बिलौड़ी मीणा)

महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर

कमांक: एफ-7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 3911 -4360

दिनांक: 13.5.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को दि० 29.04.13 को आयोजित बैठक के सन्दर्भ में।
2. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, राजस्व (सुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
10. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय-अजमेर।
12. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
13. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
14. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
15. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
16. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
18. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाइट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड हेतु।
19. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर।
20. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
21. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
22. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
23. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(सूर्यप्रकाश पुरोहित)

उप विधि परामर्शी  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर